बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
संकल्प

विषयः– **प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत पात्र परिवारों को आवास का लाभ देने हेतु परिवार शब्द को परिभाषित करने की स्वीकृति ।**

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए योग्य परिवारों को आवास का लाभ देने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार राज्य में सर्वेक्षण का कार्य दिनांक 03.01.2025 से 15.05.2025 तक आवास प्लस, 2024 द्वारा किया गया है । सर्वेक्षण अवधि में राज्य में 1,04,90,743 परिवारों का नाम आवास प्लस, 2024 की सूची में शामिल किया गया है। आवास प्लस, 2024 की सूची में सर्वेक्षित परिवारों में से योग्य परिवारों का चयन करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण का लाभ दिया जाना है।

वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत आवास का लाभ प्राप्त करने हेतु अपात्रता के मापदंड निम्नवत् हैः–

1. सर्वेक्षण हेतु अपात्रता के मापदंड :–
   i. वैसे परिवार जिनका पक्का आवास हो ।
   ii. मोटरयुक्त तिपहिया/चौपहिया वाहन ।
   iii. मशीनी तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण ।
   iv. 50,000 रू0 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड।
   v. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो ।
   vi. सरकार के पास पंजीकृत गैर–कृषि उद्यम वाले परिवार ।
   vii. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य 15,000 रू0 से अधिक प्रति माह कमा रहा हो।
   viii. आयकर देने वाले परिवार ।
   ix. व्यवसाय कर देने वाले परिवार ।
   x. वे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो।
   xi. 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि।

आवास प्लस, 2024 की सूची में सर्वेक्षित परिवारों में से योग्य परिवारों का चयन करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के प्रयोजनार्थ परिवार शब्द की परिभाषा स्पष्ट नहीं है, जिससे क्षेत्र में भ्रम की स्थिति हो रही है एवं सत्यापन के क्रम में कठिनाई होती है । इस हेतु परिवार शब्द को परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस की गई।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत आवास का लाभ देने हेतु परिवार को निम्न रूप से परिभाषित किया जाता है:–

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के प्रयोजनार्थ परिवार से आशय है, पति–पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे । अविवाहित व्यस्क व्यक्ति जिनके माता–पिता जीवित नहीं हो, उन्हें योजना के प्रयोजनार्थ एकल परिवार माना जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण का लाभ प्राप्त करने हेतु कंडिका–1 में अंकित अपात्रता के मापदंड से अनाच्छादित होना अनिवार्य है ।

(ख) परिवार की उपर्युक्त परिभाषा ग्रामीण आवास योजनाओं के लाभ पाने के लिए ही मान्य होगा ।

3. इस पर दिनांक 24.06.2025 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–36 के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त है ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

25/6/2025

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः— 4254644 पटना, दिनांकः— 25/06/2025
ग्रा0वि0—05 / प्र0आ0यो0(परिभाषा)—102—12 / 2025

प्रतिलिपिः— ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर संकल्प की 500 प्रतियां उपलब्ध करा दी जाय

सरकार के सचिव
25/6/2025

ज्ञापांकः— 4254644 पटना, दिनांकः— 25/06/2025

प्रतिलिपिः— महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव
25/6/2025

ज्ञापांकः—4254644 पटना, दिनांकः— 25/06/2025

प्रतिलिपिः— राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / अध्यक्ष —सह—सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार / सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव
25/6/2025

ज्ञापांकः— 4254644 पटना, दिनांकः— 25/06/2025

प्रतिलिपिः— मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव / सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव
25/6/2025

ज्ञापांकः— 4254644 पटना, दिनांकः— 25/06/2025

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव
25/6/2025